

**न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनूं**

पीठासीन अधिकारी:—डॉ० अरुण गर्ग  
आई.ए.एस.

प्रथम अपील संख्या:— 409/2025

श्री नरोत्तम सैनी पुत्र श्री मोहर सिंह सैनी, ग्राम नानूवाली बावडी, ढाणी घूडसिंह, तहसील खेतडी, जिला झुंझुनूं,  
मो०न० 7742773070

**बनाम**

लोक सूचना अधिकारी ( उपखण्ड अधिकारी ) खेतडी।

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील

**आदेश**

दिनांक 27.10.2025

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी ( अपीलार्थी ) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 25.09.2025 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 409/2025 पर दिनांक 25.09.2025 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) खेतडी के विरुद्ध पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी ( उपखण्ड अधिकारी ) खेतडी को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी ( उपखण्ड अधिकारी ) खेतडी से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक/2025/4371-372 दिनांक 25.09.2025 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी ( उपखण्ड अधिकारी ) खेतडी ने पत्रांक न्याय/सू०अ०अ०( 47 )/2025/286 दिनांक 16.10.2025 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि श्रीमान्जी आर०टी०आई शाखा प्रभारी की रिपोर्ट के अनुसार कार्यालय रिकार्ड की जांच करने पर अपीलकर्ता श्री नरोत्तम सैनी पुत्र श्री मोहर सिंह सैनी, ग्राम नानूवाली बावडी, तहसील खेतडी, जिला झुंझुनूं द्वारा प्रासंगिक पत्र के साथ सलंगन सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना चाहने बाबत आवेदन दिनांक 19.08.2025 को इस कार्यालय में प्राप्त नहीं हुआ है। उक्त संबंध में आवेदक श्री नरोत्तम सैनी पुत्र श्री मोहर सिंह सैनी, ग्राम नानूवाली बावडी, तहसील खेतडी, जिला झुंझुनूं द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत आवेदन दिनांक 18.06.2025 प्रस्तुत कर चाही गई सूचना कार्यालय हाजा के पूर्व पत्रांक न्याय/सू०अ०अ०( 16 )2025/223 दिनांक 06.08.2025 के द्वारा सूचना उपलब्ध कराई गई है। अतः अपीलार्थी का प्रथम अपील का प्रार्थना पत्र खारीज किये जाने की कृपा करे।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित नहीं।
6. लोक सूचना अधिकारी ( उपखण्ड अधिकारी ) खेतडी ने पत्रांक न्याय/सू०अ०अ०( 47 )/2025/286 दिनांक 16.10.2025 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि श्रीमान्जी आर०टी०आई शाखा प्रभारी की रिपोर्ट के अनुसार कार्यालय रिकार्ड की जांच करने पर अपीलकर्ता श्री नरोत्तम सैनी पुत्र श्री मोहर सिंह सैनी, ग्राम नानूवाली बावडी, तहसील खेतडी, जिला झुंझुनूं द्वारा प्रासंगिक पत्र के साथ सलंगन सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना चाहने बाबत आवेदन दिनांक 19.08.2025 को उनके कार्यालय में प्राप्त नहीं हुआ है। उक्त संबंध में आवेदक श्री नरोत्तम सैनी पुत्र श्री मोहर सिंह सैनी, ग्राम नानूवाली बावडी, तहसील खेतडी, जिला झुंझुनूं द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत आवेदन दिनांक 18.06.2025 प्रस्तुत कर चाही गई सूचना कार्यालय हाजा के पूर्व पत्रांक न्याय/सू०अ०अ०( 16 )2025/223 दिनांक 06.08.2025 के द्वारा सूचना उपलब्ध कराई गई है। चूंकि प्रार्थी का आवेदन पत्र सूचना उपलब्ध कराने हेतु प्राप्त नहीं हुआ है जिसके कारण प्रार्थी को सूचना उपलब्ध कराया जाना संभव नहीं है। अतः अपीलार्थी का अपील प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारीज किया जाता है।
7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते हैं।

आदेश आज दिनांक 27.10.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

( डॉ० अरुण गर्ग )

जिला कलक्टर, झुंझुनूं  
जिला कलक्टर, झुंझुनूं